

## दिशा-निर्देश

- (1) छात्रों को परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए प्रतिष्ठान मुख्यालय उज्जैन तक आने-जाने हेतु किसी भी प्रकार का यात्रा-व्यय, भोजन एवं आवास सम्बन्धी व्यय देय नहीं होगा।
- (2) परीक्षा प्रपत्र के समस्त बिन्दुओं (1 से 15) की जानकारी छात्र द्वारा हिन्दी अथवा अंग्रेजी में शुद्धलिपि में पूर्ण अंकित होना चाहिए। परीक्षा प्रपत्र में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होनी चाहिए। अपूर्ण विवरण पाए जाने पर परीक्षा प्रपत्र मान्य नहीं किए जाएँगे।
- (3) छात्र का परम्परागत वेशभूषा (धोती-कुर्ता) में नवीनतम रंगीन छायाचित्र परीक्षा प्रपत्र पर चिपका होना चाहिए। छायाचित्र पिन द्वारा नहीं लगा होना चाहिए।
- (4) परीक्षा प्रपत्र में छात्र की जन्म दिनांक नगर निगम/पंचायत द्वारा प्रदत्त जन्म प्रमाणपत्र ही मान्य होगा। माता-पिता का नाम प्रपत्र में अंकित है वहीं अन्तिम माना जाएगा। इनमें किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं होगा।
- (5) छात्र को एक बार में पाँचों परीक्षाओं में (वेद एवं आधुनिक) सम्मिलित होने पर ही मूल्यांकन होगा। एक भी दिवस अनुपस्थित रहने पर छात्र को सम्पूर्णा परीक्षा में अनुपस्थित एवं अनुत्तीर्ण माना जाएगा।

## Instructions

- (1) No financial assistance, accommodation or food arrangement will be provided by the pratishthan for appearing in the external examination.
- (2) The column No. 1 to 14 of Examination Form should be duly filled in and completed by the student concerned in Hindi or English language in precise & legible writing. No correction or over-writing should be made. Only complete examination form would be acceptable with all necessary details. Incomplete forms will be liable for rejection.
- (3) A recent color photograph in traditional attire (dhoti and kurta) of Student in Passport size should be pasted on the examination form. Photograph should not be stapled or attached by pin.
- (4) Date of birth should be mentioned in the examination form exactly the same as in the Records of Municipality/Gram Panchayat. Student should mention the name of his father and mother same as in the Records.
- (5) Evaluation will be done only if the student appears in all 5 papers/5 days in one attempt. Absence even for a day will be treated as absent for the examination.